

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्र०/अध्या.संवर्ग/ए./संवि./११३/२००८/१०७७ आदेश//

भोपाल, दिनांक-२१/८/०७


म०प्र० शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ१-४९/२००८/२०-१ दिनांक - २६.४.०८ में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-८.११.२००५ एवं २१.१२.२००५ के अनुक्रम में महिला, तथा ४० प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार तालिका क्रमांक एक में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका क्रमांक दो तथा तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उल्लेखित समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अध्यापक संवर्ग का नाम, एवं कार्यरत शाला का नाम (वरि.अध्या./अध्या./सहा.अध्यापक)	कार्यरत निकाय का नाम एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक
	१	२	३
१	श्रीमती सुधा जादौन सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. गादिया जिला देवास	जनपद पंचायत कन्नौद जिला देवास जा.क्र. ११६० दि. ११.०६.०८	जनपद पंचायत घट्टिया जिला उज्जैन जा.क्र. १४१० दि. ३०.०६.०८ शा.प्रा.वि.क. पानबिहार

संविलियन की शर्तें -


- यह अनुमति तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
- तालिका एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
- तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
- तालिका क्रमांक तीन में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका क्रमांक दो में अंकित निकाय द्वारा तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
- तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में ४० प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
- संविलियन किये जा रहे तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक की वरिष्ठता क्रमांक-३ में वर्णित संविलियन निकाय के अध्यापक, सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
- अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
- शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
- तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
- वर्ष २००१ के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक ३२७६/२००७ एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

  
उप संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

Latest-indivis

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी से कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/..... मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी से कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध कराएं। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ।
9. तालिका क्रमांक एक में वर्णित संबंधित अध्यापक/सहायक अध्यापक की ओर सूचनार्थ।



उप संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्र०/अध्या.संवर्ग/ए/संवि./०१३/२००३/ १०८५

भोपाल, दिनांक- ८/८/०८

//आदेश//

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ१-४९/२००८/२०-१ दिनांक - २६.४.०८ में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-८.११.२००५ एवं २१.१२.२००५ के अनुक्रम में महिला, तथा ४० प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार तालिका क्रमांक एक में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका क्रमांक दो तथा तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उल्लेखित समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-


क्र	अध्यापक संवर्ग का नाम, एवं कार्यरत शाला का नाम (वरि.अध्या./अध्या./सहा.अध्यापक)	कार्यरत निकाय का नाम एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक
	१	२	३
१	श्रीमती विजय लक्ष्मी गुप्ता अध्यापक शामाशाला घटारी जिला पन्ना	जनपद पंचायत गुनौर जिला पन्ना जा.क्र. ७०२ दि. १०.०७.०८	जनपद पंचायत नागौद जिला सतना जा.क्र. १११७ दि. ०९.०८.०८ शामाशाला गोपालटोला शामाशाला खैरा शा.हाईस्कूल डाम्हा
२	श्रीमती रश्मि व्यास अध्यापक शा.मा.वि. भागर पिपल्या जिला मंदसौर	जनपद पंचायत मल्हारगढ़ जिला मंदसौर जा.क्र. १९०३ दि. ०४.०७.०८	नगरपालिका परिषद नीमच जिला नीमच जा.क्र. २०९९ दि. २६.०७.०८ शा.क.मा.वि. क्र. २ नीमचकैंट
३	श्रीमती शाहीन परवीन अध्यापक शा.मा.वि. कनघट्टी जिला मंदसौर	जनपद पंचायत मल्हारगढ़ जिला मंदसौर जा.क्र. १९०३ दि. ०४.०७.०८	नगरपालिका परिषद नीमच जिला नीमच जा.क्र. २०८७ दि. २४.०७.०८ शा.बा.उ.मा.वि.क्र. २ नीमचकैंट

संविलियन की शर्तें -

- यह अनुमति तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
- तालिका एक में वर्णित अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
- तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
- तालिका क्रमांक तीन में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका क्रमांक दो में अंकित निकाय द्वारा तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
- तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में ४० प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
- संविलियन किये जा रहे तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक की वरिष्ठता क्रमांक-३ में वर्णित संविलियन निकाय के की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
- अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
- शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
- तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।


10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विवाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका क्र 2 एवं 3 में अंकित निकायो द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र/जावक क्रमांक/दिनांक की पुष्टि संबंधित निकायों द्वारा सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

  
 उप संचालक  
 लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश  
 भोपाल, दिनांक- 8/8/08

पृष्ठा. क्र0/अध्या.संवर्ग/ए./संवि./013/2008/ 1026  
 प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/..... मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी .....एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध कराएं। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
8. संबंधित संकूल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ।
9. तालिका क्रमांक एक में वर्णित संबंधित अध्यापक की ओर सूचनार्थ।

  
 उप संचालक  
 लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्र०/अध्या.संवर्ग/ए/संवि./०२५/२००८/१०७५

भोपाल, दिनांक- ८/८/०८

//आदेश//

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ १-४९/२००८/२०-१ दिनांक - २६.४.०८ में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-८.११.२००५ एवं २१.१२.२००५ के अनुक्रम में महिला, तथा ४० प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार तालिका क्रमांक एक में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका क्रमांक दो तथा तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उल्लेखित समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र	अध्यापक संवर्ग का नाम, एवं कार्यरत शाला का नाम (वरि.अध्या./अध्या./सहा.अध्यापक)	कार्यरत निकाय का नाम एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक
	१	२	३
१	श्रीमती डॉ. शोभा मालवीय वरिष्ठ अध्यापक (जीवविज्ञान) शा.उ.मा.वि. कौडिया जिला नरसिंहपुर	जिला पंचायत नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर जा.क्र. ७१ दि. ०५.०१.०८	नगर पालिक निगम भोपाल जिला भोपाल जा.क्र. ४८ दि. ०५.०८.०८ शा.उ.मा.वि. गांधी नगर शा.उ.मा.वि. अहमदाबाद
२	श्रीमती डॉ. सीमा शर्मा वरिष्ठ अध्यापक (अर्थशास्त्र) शा.उ.मा.वि. शादौरा जिला अशोकनगर	जिला पंचायत अशोकनगर जिला अशोकनगर जा.क्र. ४४२० दि. ०५.०१.०८	नगर पालिक निगम भोपाल जिला भोपाल जा.क्र. २२ दि. ०२.०८.०८ शा.उ.मा.वि. मिसरोद शा.उ.मा.वि. अरेरा कॉलोनी शा.उ.मा.वि. लक्ष्मी मंडी
३	श्रीमती सरिता पाटीदार वरिष्ठ अध्यापक (अर्थशास्त्र) शा.उ.मा.वि. रामपुरा जिला नीमच	नगर पंचायत रामपुरा जिला नीमच जा.क्र. १०४१ दि. ०२.०८.०८	नगर पालिक निगम भोपाल जिला भोपाल जा.क्र. २० दि. ०२.०८.०८ शा.उ.मा.वि. गांधीनगर
४	श्रीमती आरती सक्सेना वरिष्ठ अध्यापक (अर्थशास्त्र) शा.बा.उ.मा.वि. क्र. २ जिला मुरैना	जिला पंचायत मुरैना जिला मुरैना जा.क्र. ३०४४ दि. २८.०४.०८	नगर पालिक निगम भोपाल जिला भोपाल जा.क्र. ३६ दि. ०४.०८.०८ शा.उ.मा.वि. अरेरा कॉलोनी शा.उ.मा.वि. लक्ष्मी मण्डी शा.उ.मा.वि. अहमदाबाद

संविलियन की शर्तें -

- यह अनुमति तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
- तालिका एक में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
- तालिका क्रमांक एक में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
- तालिका क्रमांक तीन में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका क्रमांक दो में अंकित निकाय द्वारा तालिका क्रमांक एक में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
- तालिका क्रमांक एक में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में ४० प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।



6. संविलियन किये जा रहे तालिका क्रमांक एक में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक की वरिष्ठता क्रमांक-3, में वर्णित संविलियन निकाय के की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. वरिष्ठ अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षकों की का अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका क्रमांक एक में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका क्र 2 एवं 3 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र/जावक क्रमांक/दिनांक की पुष्टि संबंधित निकायों द्वारा सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक- 2/8/08

पृष्ठा. क्र0/अध्या.संवर्ग/ए/संवि./025/2008/1076  
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल ।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/..... मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी ..... एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध कराएं । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ ।
9. तालिका क्रमांक एक में वर्णित संबंधित वरिष्ठ अध्यापक की ओर सूचनार्थ ।

उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्र०/अध्या.संवर्ग/ए/संवि./०१३/२००८/

९९९  
आदेश//

भोपाल, दिनांक-२/८/०८


म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ१-४९/२००८/२०-१ दिनांक - २६.४.०८ में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-८.११.२००५ एवं २१.१२.२००५ के अनुक्रम में महिला, तथा ४० प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार तालिका क्रमांक एक में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका क्रमांक दो तथा तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उल्लेखित समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अध्यापक संवर्ग का नाम, एवं कार्यरत शाला का नाम (वरि.अध्या./अध्या./सहा.अध्यापक)	कार्यरत निकाय का नाम एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र जायक क्रमांक व दिनांक	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम अनापत्ति प्रमाणपत्र जायक क्रमांक व दिनांक
1	2	3	
1	श्रीगती प्रीति गुप्ता अध्यापक शा.मा.वि. बिसौर जिला दतिया	जनपद पंचायत सेवदा जिला दतिया जा.क्र. निरंक दि. १५.०७.०८	जनपद पंचायत घाटीगांव जिला ग्वालियर जा.क्र. १३४६ दि. १६.०७.०८ शा.मा.वि. वीरपुर (विज्ञान)
2	श्रीमती सुमन यादव अध्यापक शा.उ.मा.वि. बराछ जिला पन्ना	जिला पंचायत पन्ना जिला पन्ना जा.क्र. २०९० दि. २४.०५.०८	जिला पंचायत रायसेन जिला रायसेन जा.क्र. ३११२ दि. १८.०७.०८ शा.मा.वि. भूसीमेंटा
3	श्रीमती शशि गुप्ता अध्यापक शा.मा.वि. नावलीहार जिला भिण्ड	जिला पंचायत भिण्ड जिला भिण्ड जा.क्र. ४८०२ दि. १७.०७.०८	जिला पंचायत मुरैना जिला मुरैना जा.क्र. ६१०० दि. १८.०७.०८ नवीन हाईस्कूल थरा अम्बाह
4	श्रीमती जयश्री शर्मा (पाठक) अध्यापक शा.क.हाईस्कूल मक्सी जिला शाजापुर	नगर पंचायत मक्सी जिला शाजापुर जा.क्र. ६८० दि. ०९.०६.०८	नगर पालिक निगम उज्जैन जिला उज्जैन जा.क्र. २६२ दि. ११.०७.०८ शा.उ.मा.वि. माधवगंज
5	श्रीमती सुषमा शर्मा अध्यापक शा.मा.वि. झड़िया जिला दतिया	जनपद पंचायत दतिया जिला दतिया जा.क्र. ८४७ दि. १५.०७.०८	जनपद पंचायत घाटीगांव जिला ग्वालियर जा.क्र. १४१८ दि. १८.०७.०८ शा.मा.वि. गंगामालनपुर
6	श्रीमती मीनू जैन अध्यापक शा.मा.वि. खोरीबरी जिला अशोकनगर	जिला पंचायत अशोकनगर जिला अशोकनगर जा.क्र. ४०५७ दि. २१.०७.०८	नगरपालिका परिषद विदिशा जिला विदिशा जा.क्र. २८३७ दि. १५.०७.०८ शा.क.हाईस्कूल चौपड़ा, स्टेशन एरिया
7	श्रीमती नीतू श्रीवास्तव अध्यापक शा.मा.वि. सेमरी जिला शिवपुरी	जनपद पंचायत पिछोर जिला शिवपुरी जा.क्र. ९३३ दि. १५.०७.०८	जनपद पंचायत गुना जिला गुना जा.क्र. २२६४ दि. ०८.०७.०८ हाईस्कूल उमरी हाईस्कूल भावन हाईस्कूल पगारा
8	श्रीमती अंतिमा श्रीवास्तव अध्यापक शा.बामा शाला सेउ जिला विदिशा	जनपद पंचायत नटेरन जिला विदिशा जा.क्र. १०९५ दि. १७.०७.०८	नगर पंचायत बरेली जिला रायसेन जा.क्र. ७१० दि. १४.०७.०८ शाकउमावि बरेली

9	श्रीमती सुधा सक्सेना अध्यापक शामाशाला रिमराई जिला रायसेन	जनपद पंचायत औबेदुल्लागंज जिला रायसेन जा.क्र. 1209 दि. 16.07.08	जनपद पंचायत राजगढ़ जिला राजगढ़ जा.क्र. 872-73 दि. 11.07.08 मा.वि. हिरणखेड़ा मा.वि. कालीखेड़ा
10	कु. सपना राय अध्यापक शा.मा. शाला देवरी कलरउ जिला टीकमगढ़	जनपद पंचायत निवाड़ी जिला टीकमगढ़ जा.क्र. 990 दि. 08.07.08	जनपद पंचायत भाण्डेर जिला दतिया जा.क्र. 660 दि. 14.07.08 शा.मा.शाला रमपुरा जिला दतिया
11	श्रीमती वर्षा गोथवाल अध्यापक शा.मा. वि. गारिया जिला इंदौर	जनपद पंचायत इंदौर जिला इंदौर जा.क्र. 1378 दि. 13.07.08	जनपद पंचायत उज्जैन जिला उज्जैन जा.क्र. 1806 दि. 10.07.08 शा.मा.वि. रामवासा
12	श्रीमती संगीता लहरी अध्यापक मा.वि. हालूहेड़ी कलों जिला राजगढ़	जनपद पंचायत सारंगपुर जिला राजगढ़ ब्यावरा जा.क्र. 2505 दि. 14.07.08	जनपद पंचायत शाजापुर जिला शाजापुर जा.क्र. 1158 दि. 14.07.08 मा.वि. सांपखेड़ा मा.वि. लाहोरी
13	श्रीमती नुसरत शाहीन अध्यापक शाउमावि क्र. 2 गुना जिला गुना	नगरपालिका परिषद गुना जिला गुना जा.क्र. 1989 दि. 24.05.08	जिला पंचायत रायसेन जिला रायसेन जा.क्र. 3046 दि. 15.07.08 शाबाउमावि माध्य.विभाग गौहरंज
14	श्रीमती मीना चंदेल अध्यापक शा.मा.वि. बरचापैली भाण्डेर जिला दतिया	जनपद पंचायत भाण्डेर जिला दतिया जा.क्र. 597-3 दि. 14.07.08	जनपद पंचायत घाटीगांव जिला ग्वालियर जा.क्र. 1329 दि. 15.07.08 मा.वि.क. पुरानी छावनी शा.मा.वि. धर
15	श्रीमती राजकुमारी अग्रवाल अध्यापक शा.मा.वि. बागपुरा भाण्डेर जिला दतिया	जनपद पंचायत भाण्डेर जिला दतिया जा.क्र. 607-4 दि. 15.07.08	जनपद पंचायत घाटीगांव जिला ग्वालियर जा.क्र. 1350 दि. 16.07.08 शा.मा.क. वि. बरौआ कला समूह
16	श्रीमती लता शर्मा अध्यापक शा.मा.वि. स्यावरी मुरार जिला ग्वालियर	जनपद पंचायत मुरार जिला ग्वालियर जा.क्र. 1857 दि. 09.07.08	नगर पंचायत परिषद मानपुर जिला इंदौर जा.क्र. 390 दि. 07.07.08 उमावि मानपुर
17	श्रीमती सोनाली सक्सेना अध्यापक शा.मा. शा. गुलखेड़ी जिला राजगढ़	जिला पंचायत राजगढ़ जिला राजगढ़ जा.क्र. 477 दि. 17.07.08	जिला पंचायत रायसेन जिला रायसेन जा.क्र. 3116 दि. 18.07.08 शा.मा.शा. सेहतगंज
18	श्रीमती सुषमा अहिरवार अध्यापक शा.मा.शा. जानकीपुर जिला टीकमगढ़	जनपद पंचायत निवाड़ी जिला टीकमगढ़ जा.क्र. 982 दि. 05.07.08	नगरपालिका परिषद कोलार जिला भोपाल जा.क्र. 1548 दि. 22.07.08 शास.हाईस्कूल अकबरपुर नयापुरा
19	श्रीमती अनीता अवस्थी अध्यापक शा.नवीन मा.शाला परसवारा नं.01 कटनी	जनपद पंचायत विजय राघवगढ़ जिला कटनी जा.क्र. 1868 दि. 07.07.08	जनपद पंचायत पथरिया जिला दमोह जा.क्र. 543 30.06.08 शा.नवीन मा.शा. नरसिंहगढ़




20	श्रीमती अरुणलता त्रिपाठी अध्यापक शा.मा.शा. तिदुनहाई जिला पन्ना	जनपद पंचायत गुनौर जिला पन्ना जा.क्र.741 दि. 10.07.08	जनपद पंचायत नौगांव जिला छतरपुर जा.क्र. 1586 दि. 15.07.08 शा.मा.शा. भदेसर नौगांव शा.मा.शा. माधोपुर शा.मा.शा. सुनाटी
21	श्रीमती शाहीन बेग अध्यापक शास.क.मा.शा. हीरापुर कौड़िया जिला कटनी	जिला पंचायत कटनी जिला कटनी जा.क्र. 2739 दि. 21.07.08	नगर निगम जबलपुर जिला जबलपुर जा.क्र. 107 दि. 17.07.08 शास.हाईस्कूल पचपेढी नगर निगम जबलपुर
22	श्रीमती पुष्पा निश्रा अध्यापक शा.मा.हाईस्कूल धमना भाण्डेर जिला दतिया	जनपद पंचायत भाण्डेर जिला दतिया जा.क्र. दि. 14.07.08	जनपद पंचायत घाटीगांव जिला ग्वालियर जा.क्र. 1242 दि. 05.07.08 शा.मा.वि. अजयपुर
23	श्रीमती प्रियंका गुप्ता अध्यापक शा.मा. शाला भडार जिला छतरपुर	जनपद पंचायत लौड़ी जिला छतरपुर जा.क्र. 1214 दि. 09.07.08	जनपद पंचायत घाटीगांव जिला ग्वालियर जा.क्र. 1331 दि. 15.07.08 शा.पा.वि. अजयपुर
24	श्रीमती अंजू मिश्रा अध्यापक शा.मा.वि. ढटा पर पिछोर जिला शिवपुरी	जनपद पंचायत पिछोर जिला शिवपुरी जा.क्र. 1083 दि. 09.07.08	जनपद पंचायत मुरार जिला ग्वालियर जा.क्र. 1988 दि. 17.07.08 शा.मा.वि. रौरा, मुरार

 संविलियन की शर्तें -


1. यह अनुमति तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
4. तालिका क्रमांक तीन में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका क्रमांक दो में अंकित निकाय द्वारा तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक की वरिष्ठता क्रमांक-3 में वर्णित संविलियन निकाय के अध्यापक, सहायक अध्यापक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका क्र 2 एवं 3 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र/जावक क्रमांक/दिनांक की पुष्टि संबंधित निकायों द्वारा सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

  
उप संचालक 02/08/08  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/..... मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी .....एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध कराएं। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ।
9. तालिका क्रमांक एक में वर्णित संबंधित अध्यापक/सहायक अध्यापक की ओर सूचनार्थ।

  
०२/०८/०८  
उप संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/अध्या.संवर्ग/डी/संवि./165/2008/1011  
आदेश

भोपाल,दिनांक: 4/8/08


म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ-1/49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 08.11.05 एवं 21.12.05 के अनुक्रम में महिला तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार तालिका क्रमांक-1 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका क्रमांक-2 तथा तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उल्लेखित समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय में संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क.	अध्यापक का नाम (अध्यापक/सहायक अध्यापक) एवं कार्यरत शाला का नाम	कार्यरत निकाय का नाम एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक
	1	2	3
1	श्रीमती रजना सिंह, अध्यापक, शा. पूर्व मा.वि.लेहेचुआ जिला सीधी	जिला पंचायत सीधी जिला सीधी जा.क्र. 7875 दि. 14.07.08	नगर पालिका निगम रीवा जिला रीवा जा.क्र. 3189 दि. 08.07.08 1.शा.कन्या उ.मा.वि.पाण्डेन टोला रीवा जिला रीवा
2	श्रीमती रिजयाना मन्सूरी, सहायक अध्यापक, शा.प्रा.कन्या शाला शिकारा जिला सिवनी	जनपद पंचायत घंसौर जिला सिवनी जा.क्र. 986 दि. 04.06.08	जनपद पंचायत पनागर जिला जबलपुर जा.क्र. 1201 दि. 02.07.08 1.शा.प्रा.शा.झिरमिरी 2. शा.मा.शा.बन्हनोदा
3	श्रीमती सरिता ठाकुर, सहायक अध्यापक, शा.हाईस्कूल पनिया जिला राजगढ़	जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ जा.क्र. 3108 दि. 10.07.08	जनपद पंचायत इन्दौर जिला इन्दौर जा.क्र. 1964 दि. 15.07.08 1. शा.प्रा.वि.राऊ
4	श्रीमती रशीदा बानो, सहायक अध्यापक, शा.पूर्व मा.वि.फरहदा जिला अनूपपुर	जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर जा.क्र. 494 दि. 26.06.08	नगर पालिका निगम रीवा जिला रीवा जा.क्र. 3200 दि. 08.07.08 1. शा.पूर्व मा.वि.शिवपूर्वा
5	श्रीमती लक्ष्मी बावरिया, सहायक अध्यापक, शा.प्रा.शा.टीलाखेड़ी जिला विदिशा	जनपद पंचायत, विदिशा जिला विदिशा जा.क्र. 1503 दि. 10.06.08	जनपद पंचायत फन्दा जिला भोपाल जा.क्र. 4006 दि. 02.07.08 1. शा.प्रा.शा.दुपाड़िया
6	श्रीमती प्रभा तिवारी, अध्यापक, शा. उ.मा.वि.सज्जनपुर जिला सतना	जिला पंचायत सतना जिला सतना जा.क्र. 1476 दि. 16.07.08	नगर पालिका निगम रीवा जिला रीवा जा.क्र. 3257 दि. 15.07.08 1. उन्नत मा.वि.अनन्तपुर
7	श्रीमती बृजेश भसनेरिया, अध्यापक, शा.मा.वि.जटामणी जिला राजगढ़	जनपद पंचायत खिलचीपुर जिला राजगढ़ जा.क्र. 2003 दि. 16.07.08	नगर पालिका शुजालपुर जिला शाजापुर जा.क्र. 322 दि. 09.07.08 1.शा.कन्या उ.मा.वि.शुजालपुर नगर

**संविलियन की शर्त :-**

1. यह अनुमति तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिए मान्य होगी ।
2. तालिका-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका क्रमांक-3 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका क्रमांक-3 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात् ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
4. तालिका क्रमांक-3 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात् ही तालिका क्रमांक-2 में अंकित निकाय द्वारा तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाये । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक की वरिष्ठता क्रमांक-3 में वर्णित (संविलियन) निकाय के अध्यापक, सहायक अध्यापक की वरिष्ठता कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. अध्यापक के संविलियन के प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जॉच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्यापक की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका क्रमांक 2 एवं 3 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र/जावक क्रमांक/दिनांक की पुष्टि संबंधित निकायों द्वारा सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।

**"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"**

  
04/11/08

उप संचालक,  
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश


पृष्ठा.क./अध्या.संवर्ग/डी/संवि./165/2008/ 10/2 भोपाल,दिनांक: 4/11/08

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग म.प्र.भोपाल ।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की



- पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत.....मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा से कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी..... एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध करायें । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ ।
9. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित संबंधित अध्यापक/सहायक अध्यापक की ओर सूचनार्थ ।

  
उप संचालक,  
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्र०/अध्या.संवर्ग/ए/संवि./०७/२००८/१०१३

भोपाल, दिनांक- 5/8/08

//आदेश//

म०प्र० शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ१-४९/२००८/२०-१ दिनांक - २६.४.०८ में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-८.११.२००५ एवं २१.१२.२००५ के अनुक्रम में महिला, तथा ४० प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार तालिका क्रमांक एक में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका क्रमांक दो तथा तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उल्लेखित समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर नि-नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अध्यापक संवर्ग का नाम, एवं कार्यरत शाला का नाम (वरि.अध्या./अध्या./सहा.अध्यापक)	कार्यरत निकाय का नाम एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक
	१	२	३
१	श्रीमती मीरा गुप्ता वरिष्ठ अध्यापक (रसायन शास्त्र) शास.क.उमावि. कहां जिला भिण्ड	नगर पंचायत लहार जिला भिण्ड जा.क्र.३६० दि. ५.७.०८	नगर पंचायत विलौआ जिला ग्वालियर जा.क्र.१४१२ दि.३०.६.०८ शास.उमावि. बिलौआ
२	श्रीमती सुनीता गुप्ता वरिष्ठ अध्यापक (रसायन शास्त्र) शारा.उमावि. असवार जिला भिण्ड	जिला पंचायत भिण्ड जिला भिण्ड जा.क्र. ३७२९ दि. ३०.५.०८	नगर पंचायत माचलपुर जिला राजगढ़ जा.क्र. २३९ दि. ३.६.०८ शाम.उमावि. माचलपुर

संविलियन की शर्त -

- यह अनुमति तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
- तालिका एक में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
- तालिका क्रमांक एक में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
- तालिका क्रमांक तीन में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका क्रमांक दो में अंकित निकाय द्वारा तालिका क्रमांक एक में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
- तालिका क्रमांक एक में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में ४० प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
- संविलियन किये जा रहे तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक की वरिष्ठता क्रमांक-३ में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
- वरिष्ठ अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
- शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
- तालिका क्रमांक एक में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
- वर्ष २००१ के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक ३२७६/२००७ एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
- तालिका क्र २ एवं ३ में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र/जावक क्रमांक/दिनांक की पुष्टि संबंधित निकायों द्वारा सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।

*mo*

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

*mo*  
8/8/08

उप संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश


Thirty-N.P.

पृष्ठा. क्र०/अध्या.संवर्ग/ए/संवि./०७/२००८/१०१५

भोपाल, दिनांक- ५/८/०८

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, म. पंती जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/..... मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी .....एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध कराएं। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ।
9. तालिका क्रमांक एक में वर्णित संबंधित वरिष्ठ अध्यापक की ओर सूचनार्थ।

  
०५/०८/०८  
उप संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश